ग्राम पंचायत पाहल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पाहल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती चन्द्रकान्ता	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमती वन्दना कुमारी	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्र0सं	नाम	अवधि
1	श्री भारत भूषण वर्मा	1.4.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत पाहल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	0.21
2	6	खाता "ख" में उपार्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न करना	0.86
3	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	6.02

4	8	कार्य में वास्तविक प्रयोग साधन के आधार पर मूल्यांकन न करना	3.72
5	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	—
6	10	अनुदान का उपयोग न करना	1.75

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत पाहल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24.8.2017 से 30.8.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 9/14, 3/16, 9/16 तथा 3/15, 7/15 व 3/17 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत पाहल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन (एल0ए0) एस0आर0के0/01 दिनांक 28.8.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक समिति, शाखा सुन्नी के ड्राफ्ट संख्या 170436 दिनांक 31.8.2017 के अन्तर्गत यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—171009 को प्रेषित की गई है।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत पाहल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका माह वार आय—व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—क, ख, ग** पर दिया गया हैः—

(क) अनुदान तथा स्वः स्त्रोतः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	692136.06	1571058	2263194.06	1120560	1142634.06
2015—16	1142634.06	2072917	3215551.06	1338691	1876860.06
2016—17	1876860.06	1399777	3276637.06	1480805	1795832.06

रोकड़ बही/वितीीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को शेषः— 1795832.06

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरणः—

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	जमा राशि
1	हि0प्र0रा0स0 बैंक, सीमित, सुन्नी	44110105710	702096.80
2	—यथोपरि—	44110107611	317278.81
3	—यथोपरि—	44110113163	2280.00
4	—यथोपरि—	44110115102	770.00
5	—यथोपरि—	44110115714	2282.00
6	—यथोपरि—	44110111836	13255.85
7	एच0डी0एफ0सी0 सुन्नी	50100195123620	757843.00
		कुल जमा (i)	**1795806.46**
		हस्तगत रोकड़ (ii)	25.60
		कुल उपलब्ध राशि (i+ii)	1795832
		अन्तर	**शून्य**

(ख) आई0डब्लयू0एम0पी0ः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	523634.30	197900	721534.30	199171.00	522363.30
2015—16	522363.30	91332	613695.30	159880.28	453815.02
2016—17	453815.02	417951	871766.02	577953.93	293812.09

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरणः—

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	जमा राशि
1	पंजाब नैशनल बैंक, बसन्तपुर	2583000100032912	268057.79
2		2583000100034992	30614.30
		कुल जमा	**298672.09**

बैंक में जमा राशि		289672.09
रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को शेष		293812.09
	अन्तर	4860.00

बैंक समाधान विवरणीः–

क्र0सं0	विवरण	(+)	(–)
1	दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	293812.09	–
2	चैक संख्या 02671 द्वारा दिनांक 31.3.2017 को भुगतान किया गया परन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ	4860.00	–
3	दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि	–	298672.09
	कुल जोड़	**298672.09**	**298672.09**

(ग) एम0एन0आर0ई0जी0ए0ः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	2324.20	2391278	2393602.20	2393398.00	204.20
2015–16	204.20	1839476	1839680.20	1839680.20	शून्य
2016–17	शून्य	2277138	2277138.00	2277138.00	शून्य

5 पंचायत राजस्व ₹0.21 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जाँच में पाया गया कि गृहकर की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक आंशिक वसूली की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की माँग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक गृहकर के रूप में ₹21180 वसूली हेतु शेष थी जिसकी अविलम्ब वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	–	11430	11430	6750	4680
2015–16	4680	11430	16110	6750	9360
2016–17	9360	11820	21180	शून्य	21180

6 ₹0.86 लाख की खाता "ख" में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4 के अनुसार अनुदान से सम्बन्धित खाता–ख में जमा राशियों पर उपार्जित ब्याज प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई के मास में स्वः स्त्रोत से सम्बन्धित खाता–क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार खाता "ख" में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज की राशि ₹86206 को खाता–"क" संख्या 44110107611 में अन्तरित नहीं किया गया है जोकि निर्धारित नियम के अनुरूप न होने के साथ आपत्तिजनक भी है। अतः खाता–ख में पूर्व उपार्जित समस्त ब्याज की राशि को उपरोक्त खाता–"क" में अन्तरित किया जाये तथा भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	वर्ष	सामान्य रोकड़ बही	कुल प्राप्त ब्याज
1	2014–15	25863	25863
2	2015–16	49172	49172
3	2016–17	62987	62987
		कुल	**86206**

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹6.02 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–घ"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹602411 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 **₹3.72 लाख के सड़क निर्माण के कार्य में वास्तविक प्रयोग साधन के आधार पर मूल्यांकन न करनाः–**

₹372720 का भुगतान सड़क निर्माण की कुल 2171.545 घनमीटर की निष्पादित मात्रा हेतु विभिन्न फर्मों को 446 घंटे के लिये जे0सी0बी0 के किराये के रूप में **परिशिष्ट "ङ"** में दिये गये विवरणानुसार किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के "ऐनेसेसिस फॉर रेटस–2009, वोल–1" (दिनांक 25.10.2009 से लागू) के अध्याय 8 के पैरा 3, ए (बी) में दिये गये मानकों के अन्तर्गत उचित प्रतीत नहीं होता है। अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 11926 के विभिन्न पन्नों पर इन कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन वास्तविक प्रयोग साधन "मैकेनिकल मींस" के आधार पर न करके "मैनुअल मींस" के आधार पर किया गया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपरोक्त वर्णित "ऐनेसेसिस फॉर रेटस–2009, वोल–1" में निर्धारित मानकों के अनुसार एक्सक्वेटर/जे0सी0बी0 द्वारा प्रति घंटा किये जाने वाले अपेक्षित कटिंग कार्य की मात्रा के आधार पर निष्पादित की गई कुल मात्रा तथा उपयोग होने वाले अपेंक्षित घंटों के आधार पर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाये तदोपरान्त जे0सी0बी0 चार्जिस के रूप में 446 घंटे के लिये किये गये उक्त भुगतान से तुलना करके अधिक भुगतान हुई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा इस सम्बन्ध में पूर्ण प्रामाणिकता प्रस्तुत की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त **परिशिष्ट"ङ"** में दिये विवरण अनुसार 682.75 घन मीटर कार्य करते हुये (110 घंटे) ₹98000 का भुगतान राजेश शर्मा जनोल को दिनांक 13.10.2014 को किया गया है जबकि 367.50 घन मीटर कार्य करते हेतु ₹98100 का भुगतान श्री अजय ठाकुर पनेश को किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि बिना किसी जाँच पड़ताल के भुगतान किया गया है जिसकी पूर्ण जाँच की जानी अपेक्षित है तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

9 **माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका में निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 में कुछ अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण **परिशिष्ट "च"** में दर्शाई गई भुगतान की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जाँच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप

संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुलनात्मक जाँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 अनुदान ₹1.75 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलबध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–छ)** के अनुसार दिनोंक 31.3.2017 तक अनुदान ₹175000 उपयोग हेतु शेष थी। इस प्रकार से धन के अवरोधन व सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से ग्रामीणों को वंचित रखे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित को किया जाये।

11 सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार प्राक्कलन अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के प्रावधान के अनुसार सभी संकर्म जिनकी लागत पचास हजार रूपये से अधिक है। प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी के पश्चात ही पंचायतों द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन पर पंचायत द्वारा निष्पादित किये जायेगें। जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "ङ" और "च"** में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में नियम 94 (3) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार प्राक्कलन व प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किये गये जिनको आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 (1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संशय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्ततः हस्ताक्षरित या आद्याकक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जाँच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरान्त ही अदायगी सुनिश्चित की जाये।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक छः महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें

15 लघु आपत्ति विवरणिकाः– इसे अलग से जारी नहीं किया गया है। समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गा है।

16 निष्कर्षः– यद्यपि लेखों के रख रखाव हेतु उचित प्रयास किया गया है तथापि उपरोक्त वर्णित अनुच्छेदों में उठाई गई आपत्तियों इत्यादि में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 69/2017–खण्ड–1–6771–6774 दिनाँक 18.11.2017शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर जिला शिमला, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पाहल, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

G.P. Paahal